न्यायालय–सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कसया जनपद–कुशीनगर
पीठासीन अधिकारी–(शिरिष पटेल), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)–UP03572

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1784/2026
उत्तर प्रदेश राज्य–बनाम–राहुल कुमार मिश्र

फौजदारी वाद संख्या–1767/2006
मुकदमा अपराध संख्या–119/2006
धारा–143, 147, 323, 336, 427, 435, 341, 332, 353, 186 भा०दं०सं० व 3 राजकीय सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम।
थाना–पटहेरवा, जनपद–कुशीनगर।

प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र

31.07.2026

आवेदक/अभियुक्त**–राहुल कुमार मिश्र** की ओर से फौजदारी वाद संख्या–1767/2006, मुकदमा अपराध संख्या–119/2006, धारा–143, 147, 323, 336, 427, 435, 341, 332, 353, 186 भा०दं०सं० व 3 राजकीय सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम, थाना–पटहेरवा, जनपद–कुशीनगर के मामले में प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है, उसे झूठे एव फर्जी मुकदमें में फंसाया गया है। अन्त में जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

सुना तथा पत्रावली का आवलोकन किया। प्रस्तुत मामले का आरोप–पत्र प्राप्त है। अभियुक्त व्यक्तिगत रूप से न्यायालय उपस्थित है। मामला सात वर्ष तक के कारावास के दण्ड से दण्डनीय है। दौरान मुकदमा अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उपरोक्त प्रकरण मजिस्ट्रेट द्वारा परिक्षणीय है। अत: मामलें के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुणदोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना, जमानत का आधार पर्याप्त प्रतीत होता है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त**–राहुल कुमार मिश्र** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। इसलिए उपरोक्त अभियुक्त प्रत्येक द्वारा मु० 20,000/रूपये का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र व एक प्रतिभू समान धनराशि का दाखिल करने पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है।

दिनांकः– 31.07.2026

(शिरिष पटेल)
(उ०प्र० न्यायिक सेवा)–UP03572
सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कसया जनपद–कुशीनगर।

Digitally signed by SHIRISH PATEL
Date: 2026.07.31 16:43:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court